न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 101/2024 **दायर दिनांक: 25.07.2024**

उनवान

1. किशनलाल पि. मावसिंह जाति राजपूत नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील प्रार्थी :— श्री ईश्वरसिंह
अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 24.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का शेरपुर तह० पिड़ावा खाता संख्या 23 खसरा नं. 100 रकबा 0.0885 है०, खसरा नं. 101 रकबा 0.1391 है०, खसरा नं. 102 रकबा 0.3035 है०, खसरा नं. 106 रकबा 0.0632 है०, खसरा नं. 235 रकबा 0.1518 है०, खसरा नं. 249 रकबा 1.0623 है0, खसरा नं. 256 रकबा 0.2529 है0, खसरा नं. 384 रकबा 0.0885 है०, खसरा नं. 414 रकबा 0.2529 है०, खसरा नं. 419 रकबा 0.2150 है०, खसरा नं. 420 रकबा 0.0253 है०, खसरा नं. 421 रकबा 0.3794 है0, खसरा नं. 422 रकबा 0.7714 है०, खसरा नं. 467 रकबा 0.4806 है०, खसरा नं. 486 रकबा 0.5817 है०, खसरा नं. 534 रकबा 0. 6323 है०, खसरा नं. 534/623 रकबा 0.2150 है0, खसरा नं. 687/255 रकबा 0. 2150 है०, खसरा नं. 98 रकबा 0.2529 है०, खसरा नं. 99 रकबा 0.2656 है० कुल किता 20 कुल रकबा 6.4369 है० आराजी स्थित है नकल जमाबंदी सम्वत 2074—2077 पेश है। यह प्रार्थना पत्र [illegible] नं. 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी को बंटवारे से प्राप्त आराजी है जिसके [illegible] खसरा नम्बरान एवं उनका रकबा बंटवारा प्रपत्र के अनुसार [illegible] तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारा के आधार पर दर्ज हुआ नामांतरण भी सही है। ऑफलाईन नक्शे में की गई तरमीम भी सही है। परन्तु ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नं. 362/384 के स्थान पर 384 दर्ज हो गया तथा 384 के स्थान पर 362/384 दर्ज हो गया तथा खसरा नं. 249 के स्थान पर 761/249 दर्ज हो गया और 761/249 के स्थान पर 249 दर्ज हो गया। जो गलत है तथा शुद्धी का मोहताज है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित उक्त दोनो खसरा नं. 249 व 384 प्रार्थी के खाते में दर्ज है तथा इनका रकबा भी सही सही अंकित है और इसी अनुसार बंटवारे के समय ऑफलाईन नक्शे मे तरमीम की गई जो भी सही है केवल ऑनलाईन नक्शे में तरमीम के समय खसरा नम्बरान के स्थान बदल जाने की वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी यानी तहसीलदार साहब पिड़ावा के नाम आदेश प्रदान किया जावे कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का शेरपुर तह० पिड़ावा खाता संख्या 23 के खसरा नं. 249 व 384 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम शुद्धी की जाकर खसरा नं. 384 का अंकन खसरा नं. 762/384 के स्थान पर तथा 762/384 का अंकन 384 के स्थान पर शुद्धीकरण किया जावे तथा खसरा नं. 249 का अंकन खसरा नं. 761/249 के स्थान पर तथा 761/249 का अंकन 249 के स्थान पर शुद्धीकरण किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क्र. भू.अ./2024/1289 दिनांक 25.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रिर्पोट पटवारी के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम कल्याणपुरा के ख० न० 362/384 रकबा 0.0759 है० खातेदारान मानसिह कालीबाई मानकुवर पिता देवीसिह जाति सौंधिया निवासी कल्याणपुरा के नाम दर्ज हैं एवं ख० [illegible] या ख० न० न० 384 रकबा 0.0885 किशनलाल पुत्र मावसिह [illegible] 761/249 रकबा 0.2529 है० मानसिह मानकुवर कालीबाई पिता देवीसिह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जाति सौधिया ख० न० 249 रकबा 1.0623 है० किशनलाल पुत्र मावसिह जाति सौधिया के नाम दर्ज हैं। मुताबिक बंटवारा पत्र नामा० स० 591 से ख0न0 384 रकबा 0.1643 में से 0.07 बीस्वा (0.0885 हें) किशनलाल पिता मावसिह जाति सौधिया एवं शेष 0.06 (0.759 हे०) देवीसिह पिता मावसिह जाति राजपूत के नाम बटवारा हुआ हैं एवं ख० न0 249 रकबा 1.3152 में से 0.2529 है0 1.00 बीघा देवीसिह पुत्र मावसिह जाति सोधिया एवं शेष 1. 06230 है। 5–04 बीघा किशनलाल पुत्र मावसिह जाति सौधिया के नाम बटवारा हुआ है। जिसका मुताबिक बटवारा पत्र नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैं। नामा० दर्ज उपराक्त ख० न० 384 रकबा 0.0885 किशनलाल पुत्र मावसिहें एवं शेष ख० न० 762/384 ख० न० 0.0759 हे० देवीसिह पुत्र मावसिह के नाम दर्ज एवं ख० न० 249 रकबा 1.0623 किशनलाल पुत्र मावसिह एवं ख० न0 761/249 का रकबा 0.2529 देवीसिह पुत्र मावसिह जाति सौधिया के नाम दर्ज हुआ। परन्तु आनलाईन नक्शो में ख० न० पुराना ख० न० 384 के दोनो नये ख० न० 384 रकबा 0.0885 व ख० न० 762/384 रकबा 0.0759 में एवं पुराना ख० न० 249 के दोनो नये ख० न० 249 रकबा 1.0623 व 761/249 का रकबा 0.2559 में उपरोक्त दोनो खातेदारान की मौका स्थिति आपस में बदल गयी हैं जो कि गलत हैं मुताबिक नजरी नक्शा बटवारा पत्र एवं नामा० उक्त दोनो खातेदारान की मौका स्थिति को दुरूस्त किया जाना उचित होगा। बाद जॉच रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेर्षित है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 23, 70 की प्रमाणित नकल एवं पटवारी रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस दिनांक 28.05.2024,बंटवारा पत्र तहसीलदार पिडावा दिनांक 22.09.2017 की प्रमाणित प्रति, खसरा नक्शा दिनांक 30.04.2024, तरमीम शुद्धि प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2023 की छायाप्रतियां पेश की।

4. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का ...पुर रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कल्याणपुरा की वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खाता सं. 49 के ख.नं. 98, 99, 100, 101, 102, 106, 135, 249, 251, 256, 257, 263, 384, 414, 419, 420, 421, 422, 443, 444, 446, 452, 453, 455, 458/559, 467, 486, 492, 537, 53/623, 687/255 कुल किता 31 रकबा 46–15 बीघा आराजी वादी किशनलाल पुत्र मावसिंह एवं देवीसिंह पि. मावसिंह, शांतीबाई पुत्री मावसिंह हिस्सा 1/3–1/3 की सहखातेदरी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी। उक्त आराजियात में से सहखातेदार शांतीबाई पि. मावसिंह ने अपने हिस्से 1/3 का हकत्याग अपने भाई/वादी किशनलाल पि. मावसिंह के पक्ष में दिनांक 08.10.2017 को किया था जिसका नामा.सं. 585 दिनांक 10.07.2017 दर्ज हुआ। उक्त हकत्याग नामानतरण के बाद वादग्रस्त आराजी खाता सं. 49 किता 31 रकबा 46–15 बीघा में वादी का हिस्सा 2/3 एवं देवीसिंह का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वादी व उसके भाई देवीसिंह ने वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा कराने के लिए तहसीलदार पिडावा के समक्ष धारा 53(2) आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने आदेश 147 दिनांक 22.09.2017 से सहमति बंटवारा आदेश जारी किया गया जिसमें खसरा सं. 249 रकबा 5–04 बीघा में से 1–00 बीघा दत्तरी भाग देवीसिंह पि. मावसिंह के हिस्से व 4–04 बीघा दक्षिण भाग वादी किशनलाल पि. मावसिंह को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ख.नं. 384 रकबा 0–13 बीघा में से 0–06 बीघा पूर्वी दिशा देवीसिंह पि. मावसिंह को एवं 0–07 बीघा पश्चिम दिशा वादी किशनलाल को प्राप्त हुआ था। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि उक्त सहमति बंटवारे आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व कार्मिको ने भारी लापरवाही करते हुए गलत तरीके से तरमीम कर दी गई। प्रार्थी के हिस्से का ख.नं. 249 रकबा 4–04 बीघा की तरमीम दक्षिण दिशा के बजाय उत्तर दिशा में एवं देवीसिंह के हिस्से 761/249 रकबा 1–00 बीघा की तरमीम उत्तर दिशा के बजाय उत्तर दिशा में कर दी। इसी प्रकार प्रार्थी के हिस्से ख.नं. 384 रकबा 0–07 बीघा की तरमीम पश्चिम दिशा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बजाय पूर्व दिशा में एवं देवीसिंह के हिस्से 762/384 रकबा 0–06 बिस्वा की तरमीम पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में कर दी गई जबकि प्रार्थी किशनलाल व उसका भाई देवीसिंह वक्त बंटवारा से ही बंटवारा आदेश अनुसार कब्जा काश्त चले आ रहे है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को बंटवारा आदेश अनुसार दुरूस्त किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कल्याणपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 व 761/249 तथा ख.नं. 384 व 762/384 दोनो की तरमीम बंटवारा आदेश के अनुसार गलत हो गई है। दोनो खातेदारान की मौका स्थिति मूलवश बदल दी गई है। दोनो खातेदारान मौके पर बंटवारे आदेश अनुसार काबिज है। अतः मुताबिक नजरी नक्शा आदेश बंटवारा एवं नामान्तरण तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा के खाता सं. 49 किता 31 रकबा 46–15 बीघा की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मावसिंह के पुत्र किशनलाल, देवीसिंह व पुत्री शातीवाई हिस्सा 1/3–1/3 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा के नामा सं. 585 दिनांक 10.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार शांतीबाई पि. मावसिंह ने अपने हिस्से 1/3 का हकत्याग अपने भाई/वादी किशनलाल पि. मावसिंह के पक्ष में दिनांक 08.10.2017 को किया था जिसका नामा.सं. 585 दिनांक 10.07.2017 दर्ज हुआ। उक्त हकत्याग नामानतरण के बाद वादग्रस्त आराजी खाता सं. 49 किता 31 रकबा 46–15 बीघा में वादी का हिस्सा 2/3 एवं देवीसिंह का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश तहसीलदार पिडावा के सहमति बंटवारा आदेश क. 147 दिनांक 22.09.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्य ख[illegible] 249 रकबा 5–04 बीघा में से 1–00 बीघा उत्तरी भाग दे[illegible]ह पि[illegible]वसिंह के हिस्से व 4–04 बीघा दक्षिण भाग वादी किशनलाल पि. [illegible]सिंह को प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

हुआ। इसी प्रकार ख.नं. 384 रकबा 0–13 बीघा में से 0–06 बीघा पूर्वी दिशा देवीसिंह पि. मावसिंह को एवं 0–07 बीघा पश्चिम दिशा वादी किशनलाल के खाते दर्ज किया गया। सहमति बंटवारा आदेश के पृष्ठ भाग पर अंकित खसरा नक्शा एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश पटवारी रिपोर्ट मे अंकित खसरा नक्शा का वर्तमान आनलाईन नक्शे से मिलान करने पर स्पष्ट है कि सहमति बंटवारा आदेश की तरमीम करते समय तहसील पिडावा के राजस्व कार्मिको ने विपरीत तरमीम कर दी गई है। प्रार्थी के हिस्से का ख.नं. 249 रकबा 4–04 बीघा की तरमीम दक्षिण दिशा के बजाय उत्तर दिशा में एवं देवीसिंह के हिस्से 761/249 रकबा 1–00 बीघा की तरमीम उत्तर दिशा के बजाय उत्तर दिशा में कर दी गई। इसी प्रकार प्रार्थी के हिस्से ख.नं. 384 रकबा 0–07 बीघा की तरमीम पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा में एवं देवीसिंह के हिस्से 762/384 रकबा 0–06 बिस्वा की तरमीम पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में कर दी गई। प्रार्थी के शपथ पत्र एवं तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी व देवीसिंह मौके पर मुताबिक बंटवारा आदेश ही कब्जा काश्त चले आ रहे है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पिडावा द्वारा सहमति बंटवारा आदेश के विरूद्ध राजस्व नक्शे में मूल ख.नं. 249 व 384 की गलत तरमीम किया जाना साबित है। तहसीलदार को प्रार्थी को सुने बिना उसकी भूमि में गलत तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार पिडावा ने अपनी गलती को स्वीकार कर तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व नक्शे में हुई किसी प्रकार की त्रुटी को धारा 131 एलआरएक्ट में दुरूस्त करने का अधिकार सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी/लैण्ड रिकार्ड अधिकारी को है। भू.राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी को

6

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी सम्वत 2074–2077 पेश है।

नि. अ. किशनलाल

निरन्तर 2 पर––

Scanned with OKEN Scanner

सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

9. उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 249, 761/249 एवं 384 , 762/384 के राजस्व नक्शे में तरमीम में दुरूस्ती के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेश दिये जाते है कि वह ग्राम कल्याणपुरा की आराजी खसरा नम्बर 249, 761/249 एवं 384 , 762/384 के राजस्व नक्शे में बंटवारा आदेश दिनांक 22.09.2017 पर अंकित खसरा नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/24

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
पिड़ावा, झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.26 17:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner